

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर

पत्रांक 2303/781

दिनांक 03/09/2020

सेवा में

श्री धर्मपाल गुप्ता
महाप्रबन्धक - परियोजना
शहरी गैस वितरण परियोजना
सू०पी० कन्स्ट्रक्टर प्रथम तल,
डी०डी० पुरम केरली-243122।

विषय- जनपद-शाहजहाँपुर में बरेली मोड़ से पक्का पुल के लिए पुराना राष्ट्रीय मार्ग का शहरी भाग (अ०जि०मा०) के साथ चैनेज ०.०० से ४.८०० नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं ओ०एफ०सी० केविल डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- शासनादेश सं०-760/नी-9-2018-101ज/17 दिनांक 30.05.2018 एवं आपका पत्रांक HPC/CGD/BLV/26 दिनांक 13.05.2020

उपरोक्त विषय में आप द्वारा खण्डीय कार्यालय में वी०जी० संख्या-0393BGR0010621 दिनांक 08.05.2020 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक रु० 25,000/- एवं वी०जी० संख्या-0012520BG0000031 दिनांक 09.07.2020 एस०वी०आई, मुख्य शाखाच मोती महल, लखनऊ रु० 4606900/- जमा कर दिया गया है। विषयगत मार्ग पर पाइप लाईन डालने के कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में प्ररनगत मार्ग के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के निरीक्षण के उपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाती है:-

- 1- आप द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं ओ०एफ०सी० केविल प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर द्वारा लिखित रूप से सूचित करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 2- आप द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं ओ०एफ०सी० केविल डालने का कार्य उपरोक्त मार्ग की सड़क एवं पटरी छोड़कर किया जायेगा। निर्माण कार्य कराने से पूर्व विभाग को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3- कटिंग पश्चात हुए ट्रेन्वेज को भरकर कुटाई का कार्य आपके द्वारा कराकर पूर्ववत दशा में लाया जायेगा। मेटलिक/विद्युमिनस सतह में कोई भी कटिंग/क्षति नहीं की जानी चाहिए अन्यथा दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 4- खुदाई कार्य के फोटोग्राफ एवं उसके बाद गड़्ढा भराई के फोटोग्राफ लेते हुए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।
- 5- नेचुरल गैस पाइप लाईन डालते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो, यदि दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी पटरी कटिंग एजेन्सी की होगी। पटरी कटिंग के द्वारा सर्विस जेरो सीवर, पानी नाला व विद्युत लाईन आदि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पटरी कटिंग एजेन्सी का होगा।
- 6- पटरी कटिंग के दौरान यातायात के सुरक्षित डायवर्जन की व्यवस्था की जाये तथा रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरीकेटिंग व रात्रि में प्रकाश व्यवस्था की जाये। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो निर्माण कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी।
- 7- आवादी भाग में खोदे गये गड़्ढों को चारों ओर से बैरीकेटिंग/टीन लगाकर सुरक्षित किया जाये, ताकि गड़्ढों में कोई भी व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाने का खतरा न हो। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कम्पनी का स्वयं का होगा।

सज्जिक मोडल
SAGNIK MODAL
प्रबन्धक - परियोजना
Manager - Projects

D:\MOHD ABID\Amin Sahab\Gas Line Letter.docx

क्रमशः.....02 पर

Scanned with CamScanner

- 8- कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात ही आपके द्वारा जमा की गयी केवल उक्त बैंक गारण्टी के रूप में जमा सिक्कोरिटी की धनराशि को ही मुक्त किया जायेगा।
- 9- यह अनुमति केवल लोक निर्माण विभाग के मार्गों के लिए पटरी कटिंग से सम्बन्धित है, यदि इसके अतिरिक्त अन्य विभाग/निगम आदि की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- 10- उक्त प्रकरण विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।
अतः उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ नेचुरल गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में विषयक कार्य हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
शाहजहाँपुर

दिनांक : / /

पत्रांक /

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता-प्रथम/श्री एस०पी० पाण्डेय, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल का निरीक्षण कर आख्या फोटोग्राफ सहित कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

A.K. (आदर्श कुमार)
प्रमाणित निदेशक
23/11/24

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
शाहजहाँपुर

साजिक मोन्डल
SAGNIK MONDAL
सम्यक - परियोजना
Manager - Projects

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग
शाहजहाँपुर

☎ : 05842-283145

mail : cd1pwdspn@gmail.com

पत्रांक-

1061 / 1/c

दिनांक- 19-6-2020

सेवा में,

श्री धर्मपाल गुप्ता
महाप्रबन्धक - परियोजना
शहरी गैस वितरण परियोजना
ग्रोपीओ कलस्टर प्रथम तल,
डीओडीओ पुरम बेरली-243122।

संशोधित

विषय- जनपद-शाहजहाँपुर बरेली मोड़ से पिपरोला अहमदपुर के लिए एस0एच0-29 (लिपुलेक
भिण्ड मार्ग) के साथ चैनेज 469.00 से 475.00 नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं
ओ0एफ0सी0 केविल डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।
संदर्भ- आपका पत्रांक HPCL/CGD/BLY/01 दिनांक 03.12.2019

उपरोक्त विषय में आप द्वारा खण्डीय कार्यालय में वी0जी0 संख्या- 0393BGR0011021
दिनांक 08.05.2020 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक रू0. 30,000/- जमा कर दिया गया है।
विषयगत मार्ग पर पाइप लाईन डालने के कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में प्रश्नगत मार्ग के सहायक
अभियन्ता/अवर अभियन्ता के निरीक्षण के उपरान्त की गयी, संस्तुति के आधार पर अनुमति
निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाती है।

- 1- आप द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं ओ0एफ0सी0 केविल निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
शाहजहाँपुर द्वारा लिखित रूप से सूचित करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 2- आप द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं ओ0एफ0सी0 केविल डालने का कार्य उपरोक्त मार्ग की
मध्य रेखा से एक ओर 20 मीटर की दूरी के बाहर किया जायेगा तथा निर्माण कार्य कराने से पूर्व
विभाग को सूचित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 3- कटिंग पश्चात हुए ट्रेन्चेज को भरकर कुटाई का कार्य आपके द्वारा कराकर पूर्ववत दशा में लाया
जायेगा। मैटलिक/विटुमिनस सतह में कोई भी कटिंग/क्षति नहीं की जानी चाहिए अन्यथा दी
रही अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 4- खुदाई कार्य के फोटोग्राफ एवं उसके बाद गड़्ढा भराई के फोटोग्राफ लेते हुए सम्बन्धित सहायक
अभियन्ता/अवर अभियन्ता से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।
- 5- नेचुरल गैस पाइप लाईन डालते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो, यदि दुर्घटना
होती है, तो उसकी जिम्मेदारी पटरी कटिंग एजेन्सी की होगी। पटरी कटिंग के द्वारा सर्विस जैसे
सीवर, पानी नाला व विद्युत लाईन आदि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पटरी कटिंग एजेन्सी का होगा।

A. K. M.

23/6/20

संज्ञिक मंडल
SAGNIK MONDAL
प्रबन्धक - परियोजना
Infrastructure Projects

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

Scanned with CamScanner

- 6- पटरी कटिंग के दौरान यातायात के सुरक्षित ड्रायवर्जन की व्यवस्था की जाये तथा रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरिकेडिंग व रात्रि में प्रकाश व्यवस्था की जाये। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो निर्माण कंपनी स्वयं जिम्मेदार होगी।
- 7- आवादी भाग में खोदे गये गड्ढों को चारों ओर से बैरिकेडिंग/टीन लगाकर सुरक्षित किया जाये, ताकि गड्ढों में कोई भी व्यक्ति/वहवा अथवा जानवर आदि न गिर जाने का खतरा न हो। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कंपनी का स्वयं का होगा।
- 8- शासनादेश सं०- 72/नौ-9-2018-161ज/12 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार विलो मेन्टेन्ड धनराशि एवं प्रशासनिक व्यय के रूप में देय धनराशि ₹0. 55,28,280.00 एवं 6,000.00 का डी0डी0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, शाहजहाँपुर के नाम वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-2 के प्राविधानों के अनुसार लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड संख्या-0059-01-800-00-99 के अन्तर्गत राजस्व मद में ट्रेजरी के चालान के माध्यम से जमा कराया जा चुका है, जो कि पुनः आप द्वारा मांग किये जाने पर अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- 9- कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात ही आपके द्वारा जमा की गयी केवल बैंक गारण्टी एवं ₹0. 55,28,280.00 की डी0डी0 के रूप में जमा सिक्क्योरिटी धनराशि को ही अवमुक्त किया जायेगा।
- 10- यह अनुमति केवल लोक निर्माण विभाग के मार्गों के लिए पटरी कटिंग से सम्बन्धित है, यदि इसके अतिरिक्त अन्य विभाग/निगम आदि की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- 11 उक्त प्रकरण विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

अतः उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ नेचुरल गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में विषयक कार्य हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
शाहजहाँपुर।

दिनांक

पत्रांक: /

प्रतिलिपि

- 1- सहायक अभियन्ता-तृतीय /श्री जोगेन्द्र पाल, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल का निरीक्षण कर आख्या फोटोग्राफ सहित कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

SAGNIK MONDAL
प्रबन्धक - परियोजना
Manager - Project

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
शाहजहाँपुर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

Officer of the Executive Engineer
Provincial Division P.W.D., Shahjahanpur

No: 2943/7 सी

Date: 11/11/2020

To: Shri Dharam Pal Gupta
General Manager Projects
CGD UP Cluster, Bareilly
Uttar Pradesh

Sub: Permission for laying Natural Gas Pipeline with OFC (Optical Fiber Cable) along
PWD Roads in Shahjahanpur Town. (Pukka Pul to Mezban Hotel = 2.00 Km)
(Ch-328.130 to 330.130)

Ref: HPCL/CGD/BAD/21 Dated 17.10.2020

With reference to your above letter, kindly deposit the below mentioned Amount
Rs. 1840000.00 (Security Deposit) by B.G. and Non Refundable amount Rs. 2000.00 by
D.D. in favour of E.E., PD, PWD, Shahjahanpur. So that your case for permission to lay
Natural Gas Pipeline with OFC (Optical Fiber Cable) underground optical fiber cable can

Length of Road	:	2.00 Km	
Surface area of Kachcha	:	2000.00 x 1.00	= 2000.00 Sqm
Pit	:	2.00 x 1.50 x 1.00	= 3.00 Sqm
Road cutting charge wide letter no. 7333/2M-L-Circle/2017, Dt. 10.11.2017			
Amount	:	2000.00 x 920.00	= 1840000.00
B.G. Amount for Pit	:	2.00 x 5000.00	= 10000.00
Deposit to E.E., PD, PWD, SPN	:	2.00 x 1000.00	= 2000.00
(Non Refundable)			

Note: Kachcha work shall be allowed Besides Road and Patri from the center of the
road and any additional cutting/damage except above will be charge. Site will be
made clear after filling the Trenches. In future if widening of road needed,
company will shift pipeline at its own cost.

सासनादेश सं 72/9-9-2018-1617/12 लखनऊ दि 08.02.2018 के पैरा 5 के प्रस्तर-2
में रु 1000 प्रति किमी० के हिसाब से रु 2000.00 (प्रशासनिक व्यय) की डी०डी० अधिरासी
अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर के नाम जमा करें।

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Shahjahanpur

Date: 11/11/2020

No:

Copy to:-

- 1- Assistant Engineer, PD, PWD, Shahjahanpur for information and necessary action
- 2- JE(T), Amin PD, PWD, Shahjahanpur for information and necessary action.
- 3- S.P. Pandey, J.E., PD, PWD, Shahjahanpur for information and necessary action
- 4- Cashier PD, PWD, Shahjahanpur for information and necessary action

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Shahjahanpur

साजिक मोडल
SAGNIK MONDAL
प्रबन्धक - परियोजना
Manager - Projects

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई 400 020

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI 400 020

Website: www.hindustanpetroleum.com CIN No. L2320 1MH1952GO1008858

शहरी गैस वितरण परियोजना, यू.पी. ए-5 यू.के. क्लस्टर प्रथम एवं द्वितीय तल, महालक्ष्मी टॉवर्स, 112 सिविल लाइन्स, बरेली-243001 फोन: 0581-2422020, 2970180, मो.: 7409900090
City Gas Distribution, UP & UK Cluster 1st & 2nd Floor, Mahalaxmi Towers, 112 Civil Lines, Bareilly-243001, Tel: 0581-2422020, 2970180, Mob: 7409900090

Ref. No.: HPCL/CGD/BAD/25

Date: 14.12.2020

To,

Executive Engineer,
Public Works Department,
Provisional Division
Shahjahanpur, (Uttar Pradesh).

Sub: Submission of DD No. 400459 dated 24.11.2020 and BG No 00125208G0000050 dated 08-12-2020 and BG No. 00125208G0000051 dated 08-12-2020 against your Letter No. HPCL/CGD/BAD/21 dated 17/10/2020 for obtaining crossing Permission for laying Natural Gas Pipeline with OFC (Optical Fiber Cable) along PWD Roads in Shahjahanpur town. (Pukka Pul to Mezban Hotel= 2.00Km).

Ref: Our Office Letter No. HPCL/CGD/BAD/21 dated 17/10/2020

Your Office Letter No. 2943/7^त on dated 11.11.2020

Sir,

With reference to above cited letter & subject of the Exe. Engineer Provisional Division PWD Shahjahanpur for according permission for CGD Network along road as mentioned in the letter, we are submitting DD and BG for the subject as requested. Details of DD and BG as follows:-

DD Details	
In Favour of	Exe. Engineer Provisional Division PWD Shahjahanpur.
DD No.	400459
Date of Issue	24.11.2020
Amount	2000.00

BG Details	
In Favour of	Exe. Engineer Provisional Division PWD Shahjahanpur.
BG No.	00125208G0000050
Date of Issue	08.12.2020
Amount	10000.00

साज्जिक मोंडल
SAGNIK MONDAL
सहचक - परियोजना
Manager - Projects

अनिल कुमार
आयुक्त

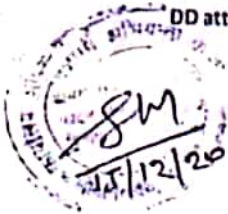
A.K. (आदर्श कुमार)
आयुक्त निवेशक
शहजहाँपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

BG Details	
In Favour of	Exe. Engineer Provisional Division PWD Shahjahanpur.
BG No.	00125208G0000051
Date of Issue	08.12.2020
Amount	1840000.00

Hence it is kindly requested to accord crossing permission of CGD network along road as crossings mentioned in Demand note. Copy of Demand note attached for your reference. Original copy of bank DD attached for your kind reference, kindly acknowledge the receipt of the same.



Thanking You
For an behalf of
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Dharam Pal Gupta
General Manager - Projects
CGD UP Cluster HPCL

A/Ka
(आकाश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
दि. 8/12/20
शहजहाँपुर

साग्निक मोंडल
SAGNIK MONDAL
प्रबन्धक - परियोजना
Manager - Projects

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शहजहाँपुर

46
20

Scanned with CamScanner

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर**

पत्रांक 373/720

दिनांक 6/2/2020

सेवा में,

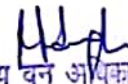
श्री धर्मपाल गुप्ता
महाप्रबन्धक - परियोजना
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू०पी० कलस्टर प्रथम तल,
डी०डी० पुरम बेरली-243122।

विषय:- जनपद-शाहजहाँपुर में पक्का पुल से मेजबान होटल (अ०जि०मा०) के साथ चैनेज 328.130 से 330.130 (02 किमी) में नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- शासनादेश सं०-760/नौ-9-2018-101ज/17 दिनांक 30.05.2018 एवं आपका पत्रांक HPCL/CGD/BAD/25 दिनांक 14.12.2020

उपरोक्त विषय में आप द्वारा खण्डीय कार्यालय में बी०जी० संख्या-0012520BG0000051 दिनांक 08.12.2020 रू० 1840000/- एवं बी०जी० संख्या-0012520BG0000050 दिनांक 08.12.2020 एस०बी०आई, मुख्य शाखा तारा वाली कोठी, लखनऊ रू० 10000/- एवं डी०डी० संख्या-400459 दिनांक 24.11.2020 रू० 2000/- जमा कर दिया गया है। विषयगत मार्ग पर पाइप लाईन डालने के की अनुमति के सम्बन्ध में प्रश्नगत मार्ग के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के निरीक्षण के उपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाती है:-

- 1- आप द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं ओ०एफ०सी० केवल प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर द्वारा लिखित रूप से सूचित करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 2- आप द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाईन एवं ओ०एफ०सी० केवल डालने का कार्य उपरोक्त मार्ग की सड़क एवं पटरी छोड़कर किया जायेगा। निर्माण कार्य कराने से पूर्व विभाग को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3- कटिंग पश्चात हुए ट्रेन्चेज को भरकर कुटाई का कार्य आपके द्वारा कराकर पूर्ववत दशा में लाया जायेगा। मैटलिक/विदुमिनस सतह में कोई भी कटिंग/क्षति नहीं की जानी चाहिए अन्यथा दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 4- खुदाई कार्य के फोटोग्राफ एवं उसके बाद गड़्ढा भराई के फोटोग्राफ लेते हुए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।
- 5- नेचुरल गैस पाइप लाईन डालते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो, यदि दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी पटरी कटिंग एजेन्सी की होगी। पटरी कटिंग के द्वारा सर्विस जैसे सीवर, पानी नाला व विद्युत लाईन आदि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पटरी कटिंग एजेन्सी का होगा।
- 6- पटरी कटिंग के दौरान यातायात के सुरक्षित डायवर्जन की व्यवस्था की जाये तथा रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरीकेटिंग व रात्रि में प्रकाश व्यवस्था की जाये। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो निर्माण कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी।
- 7- आबादी भाग में खोदे गये गड़्ढों को चारों ओर से बैरीकेटिंग/टीन लगाकर सुरक्षित किया जाये, ताकि गड़्ढों में कोई भी व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाने का खतरा न हो। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कम्पनी का स्वयं का होगा।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

क्रमशः.....02 पर

- 8- कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात ही आपके द्वारा जमा की गयी केवल उक्त बैंक गारण्टी के रूप में जमा सिक्योरिटी की धनराशि को ही मुक्त किया जायेगा।
- 9- यह अनुमति केवल लोक निर्माण विभाग के मार्गों के लिए पटरी कटिंग से सम्बन्धित है, यदि इसके अतिरिक्त अन्य विभाग/निगम आदि की अनुमति की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- 10- उक्त प्रकरण विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।
- 11- कार्य स्थल पर अनुमति पत्र की प्रति होना अनिवार्य है।

अतः उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ नेचुरल गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में विषयक कार्य हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
शाहजहाँपुर

पत्रांक /

दिनांक : / /

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता-प्रथम/श्री एस0पी0 पाण्डेय, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल का निरीक्षण कर आख्या फोटोग्राफ सहित कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
शाहजहाँपुर

(आयन सहायक)
प्रभागीय निर्देशक
वन, शाहजहाँपुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

48